भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

तारांकित प्रश्‍न संख्‍या : 73

उत्‍तर देने की तारीख : 27 जुलाई, 2015

**शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन**

**\*73. श्री प्रमोद तिवारीः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में वर्तमान शिक्षा प्रणाली देश की समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या-क्या कदम उठाए हैं?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्रीमती स्‍मृति ज़ूबिन इरानी)**

(क) से (घ): एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**‘शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन’ के संबंध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा दिनांक 27.07.2015 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 73 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।**

(क) से (घ): राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986 जो 1992 में संशोधित हुई थी, में अन्‍य बातों के साथ-साथ, शिक्षा में एकरूपता लाने, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को जनसाधारण आंदोलन बनाने, सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने, प्रारंभिक शिक्षा में बच्‍चों को बनाए रखने और गुणवत्‍ता में सुधार सुनिश्चित करने, बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष जोर देने, गति-निर्धारक स्‍कूलों की स्‍थापना करने, जैसे प्रत्‍येक जिले में नवोदय विद्यालय, माध्‍यमिक शिक्षा का व्‍यावसायिकरण, उच्‍चतर शिक्षा में ज्ञान और अंतर्विषयक अनुसंधान का संश्लेषण करने, राज्‍यों में अधिक मुक्‍त विश्‍वविद्यालय शुरू करने, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को सुदृढ़ करने, खेल-कूद, शारीरिक शिक्षा, योग को प्रोत्‍साहन देने और प्रभावी मूल्‍यांकन प्रणाली को अपनाए जाने के लिए एक राष्‍ट्रीय शिक्षा प्रणाली की परिकल्‍पना की गई है। चूंकि पिछली नीति में, कई परिवर्तन हुए हैं, जिसके कारण इस नीति में संशोधन की आवश्यकता है। इस प्रयोजनार्थ, भारत सरकार ने गुणवत्‍तायुक्‍त शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान के संबंध में जनसंख्‍या की आवश्‍यकता के बदलते परिदृश्यों को पूरा करने के लिए नई शिक्षा नीति के प्रतिपादन की परामर्श प्रक्रिया शुरू की है जिसका उद्देश्‍य अपने छात्रों को आवश्‍यक कौशल और ज्ञान के साथ सुसज्ज्ति करके भारत को ज्ञान सुपरपावर बनाना और ज्ञान देना और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अकादमिक और उद्योग में जनशक्ति की कमी को दूर करना है। इसमें सभी स्‍टेकहोल्‍डरों जैसे सभी स्‍तरों से शिक्षाविद, शिक्षक और छात्रों को शामिल करते हुए बहुस्‍तरीय परामर्श प्रक्रियाओं की परिकल्पना की गई है। ऑनलाइन परामर्श प्रक्रिया पहले ही 26.01.2015 को [www.MyGov.in](http://www.MyGov.in) पोर्टल पर शुरू कर दी गई है और करीब 21,500 सुझाव 33 अभिनिर्धारित विषयों पर पहले से ही प्राप्‍त हो गए हैं। ब्‍लॉक और जिला से राज्‍य स्‍तर के माध्‍यम से ग्राम पंचायत स्‍तर से जमीनी स्‍तर पर परामर्श शुरू कर दिया गया है। सरकार ने दिसम्‍बर, 2015 तक नई शिक्षा नीति का प्रतिपादन करने के लिए एक समय-सीमा निर्धारित की है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने एनईपी के प्रतिपादन हेतु परामर्शी प्रक्रिया पर विचार-विमर्श करने के लिए 14.02.2015 को एक उच्‍च स्‍तरीय बैठक की थी और भारत सरकार के अन्य मंत्रालय और विभागों से उनके परिप्रेक्ष्‍य में पाठ्यचर्या योजना बनाने के लिए सुझाव आमंत्रित किए थे। मंत्री ने परामर्श प्रक्रिया की रूपरेखा बनाने के संबंध में राज्‍य शिक्षा मंत्री और स्‍कूल शिक्षा सचिव और उच्‍चतर शिक्षा विभाग के साथ भी एक अन्य बैठक 21 मार्च, 2015 को की थी। एनईपी कार्यबल समय-समय पर परामर्श प्रक्रिया की प्रगति का अनुवीक्षण करने के लिए स्‍थापित किया गया है। नई शिक्षा नीति के संबंध में सभी संगत दस्‍तावेज मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट [www.mhrd.gov.in](http://www.mhrd.gov.in) पर एनईपी कॉर्नर से सुलभ किए जा सकते हैं।

\*\*\*\*\*